अधिनियम,1980 के तहत त्रिपुरा सरकार से 31.3.1997 तक प्राप्त 88 प्रस्तावों में से 30 प्रस्तावों को अनुमोदित / सिद्धान्त रूप से अनुमोदित किया गया और केवल 3 प्रस्तानों को अस्वीकृत किया गया । दो प्रस्तावों को राज्य सरकार ने वापस ले लिया और शेष 53 प्रस्ताव राज्य सरकार से आवश्यक सूचना की कमी के कारण रुके हुए हैं । वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में किसी प्रकार की रियायत देने पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

गाहीरमाथा समुद्र तट पर समुद्री – कछुओं का संहार

4497.**श्री सूर्यभान पाटील बहाडणे : :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अप्राधिकृत मछुआरे गाहीरमाथा तट पर बहुत बड़ी संख्या में ओलाइव रिड्लेज़ समुद्री-कछुओं का संहार कर रहे हैं;

(ख) क्या कछुओं की इस प्रजाति के संरक्षण हेतु समुद्र तट के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचना दी है कि गाहरमाथा तट पर अनियंत्रित मछली पकड़ने से समुद्री-कछुओं की मृत्यु होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि नवम्बर,1996 और मार्च, 1997 के बीच लगभग 3600 मृत समुद्री कछुए गाहीरमाथा तट पर बहे हुए पाए गए।

(ख) जी, हां । उड़ीसा राज्य सरकार उड़ीसा में गाहीरमाथा और रूषिकुलया मगरमुख अभ्यारण घोषित करने का सुझाव दे रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Pollution caused by generators in Delhi

4498. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have undertaken any survey recently about the extent of pollution, both air and noise, caused by large scale use of generators in Dc'hi, if so, the details of the survey so undertaken;

(b) Governments guidelines regarding the use of generators and whether provision is there for punishment for violation of guidelines, if so, the details of action taken against the guilty;

(c) the role of Delhi Pollution Control Committee in this regard and composition of the Committee; and

(d) whether Government are satisfied with DPCC's performance, if not, the steps taken to improve its functioning?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) No, Sir.

(b) The Ministry of Environment & Forests, Government of India have notified standards of noise level [85-90 dB (A)] for dicsel generator sets used for domestic purposes at manufacturing stage under the Environment (Protection) Rules, 1986. The Central Pollution Control Board has also framed guidelines for stack heights to be provided with different range of diesel generator sets. Violations are punishable under the Air (Prevention and Control of Pollution) act, 1981 and under the local statutes.

(c) The Delhi Pollution Control Committee is responsible for control of air pollution including noise under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 under the delegated powers of the Central Pollution Control Board. The Delhi Pollution Control Committee has also been delegated powers of the Central Government under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 and under Section 20 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981. The composition of the Delhi Pollution Control Committee is as given below:

(i) Secretary, Environment, Government of Delhi. — Chairman.

(ii) A nominee of the Central Pollution Control Board — Member

(iii) Secretary, Local Self Government (L.S.G.) — Member.

(iv) Director, Environment, Government of Delhi. —Member-Secretary.

(d) The Central Pollution Control Board is coordinating the activities of the State Pollution Control Boards and Pollution Control Committees of the Union Territories. The State Pollution Control Boards alongwith the Delhi Pollution Control Committee are being strengthened with the internal resources and external aid.

उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की अधिक लागत

4499. **श्री नरेन्द्र मोहनः** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में चीनी उत्पादन की लागत देश के अन्य राज्यों से अधिक है; और

(ख) देश के विभिन्न राज्यों में प्रति-क्विंटल चीनी की उत्पादन लागत कितनी है और क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आकलन किया है और विभिन्न राज्यों में गन्ने की कीमतें लगभग समान स्तर पर लाने के लिए कोई योजना बनाई है?

कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्त मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) लेवी चीनी का फैक्ट्री बाह्य मूल्य निम्नलिखित को ध्यान में रखकर किया जाता हैः-

(i) भुगतान किए गए करों/देय करों सहित गन्ने का सांविधिक न्यूनतम, मूल्य पर आधारित गन्न लागत।

(ii) बी.आई.सी.पी. के मानदंडों पर आधारित परिवर्तन लागत।

(iii) बी.आई.सी.पी.पर आधारित रिटर्न।

1996-97 मौसम के लिए उपर्युक्त के अनुसार लेवी चीनी का फैक्ट्री बाह्य क्षेत्रवार मूल्य विवरण पर दिया गया है। (**नीचे देखिए**)

अनुलग्नक में दर्शाये गए फैक्ट्री बाह्य मूल्यों की तुलनात्मक स्थिति दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग में उत्पादन लागत सामान्यतः महाराष्ट्र जैसे राज्य से अधिक है लेकिन कई राज्यों जैसे पंजाब, तमिलनाडु तथा आंध्रप्रदेश से कम है।

प्रत्येक वर्ष चीनी मौसम के दौरान गन्ने का न्यूनतम सांविधिक मूल्य सरकार द्वारा नियत किया जाता है जो समस्त देश में समान होता है।

विवरण

1996-97 के लिए लेवी चीनी का फैक्ट्री बाह्य मूल्य दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं.क्षेत्र	चीनी की सभी भारतीय चीनी मानक श्रेणिया(रु.प्रति क्विंटल)
1. आंध्र प्रदेश	1071.60
2.असम,नागालैंड,उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	1420.07
3.बिहार(उत्तर)	1140.37
4. बिहार (दक्षिण)	-
5. गुजरात (दक्षिण)	938.58
6. गुजरात (सौराष्ट्र)	1055.69
7. हरियाणा	985.43
8. उत्तर-पश्चिम कर्नाटक	970.70
9. शेष कर्नाटक	1001.84
10. केरल,गोआ और तटीय कर्नाटक	1127.98
11. मध्य प्रदेश	1112.02
12. महाराष्ट्र (दक्षिण)	976.52
13. महाराष्ट्र (उत्तर)	983.60
14. महाराष्ट्र (मध्य)	958.33
15. पंजाब	1084.04
16. राजस्थान	1110.45
17. तमिलनाडू और पांडिचेरी	1049.04
18. उत्तर प्रदेश (मध्य)	994.05
19. उत्तर प्रदेश (पूर्व)	1038.74
20. उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	981.81

उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार क्षेत्रों के लिए मूल्य खरीद कर आदि के सापेक्ष न्यायालय के अंतिम आदेशों के अधीन है। बिहार के उपर्युक्त क्षेत्रों में यदि फैक्ट्रियों से कोई राशि वसूल करनी है तो यह संबधित फैक्ट्रियों द्वारा चीनी मूल्य इक्वालाइजेशन निधि को वापस करनी होगी।